

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य, एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : नर्सिंग/नर्स-1/आर-347/26215/2024/1

दिनांक:- 3/1/2025

—:आदेश:—

वित्त विभाग के आदेश एफ 15 (1)एफडी/नियम/2017दिनांक 30.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है:—

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/ सुश्री)	पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	देय एसीपी की दिनांक	देय पे बैण्ड एसीपी/ पे- मैट्रिक्स लेवल प्राप्त /प्राप्त पे-बैण्ड	देय ग्रेड-पे/ पे-मैट्रिक्स लेवल
1-	रमाकान्त पारिक	पीएचएन	झुंझुनूं	28.02.1992	28.02.2019 27 वर्ष	एल-13	एल-15

उपरोक्त कार्मिक के विरुद्ध आपके कार्यालय स्तर पर भी विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित है या नहीं सुनिश्चित करावें।

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होगा। उक्त कार्मिक का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक:- 3/1/2025

क्रमांक : नर्सिंग/नर्स-1/आर-347/26215/2024/1

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
2. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
3. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar  
Sharma  
Designation: Director  
Date: 2025.01.02 17:59:19 IST  
Reason: Approved



DFA